भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
11.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2678 का उत्तर

शिमोगा से शिखरीपुरा फेज-1 नई रेलवे लाइन के पूरा होने की प्रगति और समय-सीमा

2678. श्री बी. वाई. राघवेन्द्र:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी हो जाने के बावजूद भी शिमोगा से शिखरीपुरा फेज-1 रेल लाइन के निर्माण कार्य में धीमी प्रगति के क्या कारण हैं;

(ख) इस रेल लाइन के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है';

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए की यह कार्य समय पर पूरा हो इस कार्य में तेजी लाने के लिए क्या उपाए किए जा रहे हैं; और

(घ) उक्त लाइन को पूरा करने तथा इसे चालू करने के लिए अनुमानित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): शिवमोग्गा-शिकारीपुरा-राणिबेन्नुरू नई लाइन परियोजना (103 कि.मी.) को कर्नाटक सरकार के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर स्वीकृत किया गया है। कर्नाटक

सरकार को नि:शुल्क भूमि उपलब्ध करानी है और परियोजना निर्माण की 50% लागत भी वहन करनी है। परियोजना का निष्पादन 2 चरणों में किए जाने की योजना है, चरण-I शिवमोगा-शिकारीपुरा (46 कि.मी.) और चरण-II शिकारीपुरा-राणिबेन्नुरू (57 कि.मी.) है। कुल अपेक्षित 559 हेक्टेयर भूमि में से, कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा केवल 225 हेक्टेयर भूमि सौंपी गई है। उपलब्ध भूमि पर कार्य शुरू कर दिया गया है।

इस परियोजना के लिए कर्नाटक सरकार ने रेल मंत्रालय की 150 करोड़ रुपए की मांग पर केवल 60.26 करोड़ रुपए ही जमा कराए हैं। बहरहाल, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रेल मंत्रालय द्वारा 150 करोड़ रुपए का परिव्यय मुहैया कराया गया है।

किसी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, लागत में भागीदारी परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा अपना हिस्सा जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, अतिलंघनकारी जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना (परियोजनाओं) स्थल में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों आदि के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष के दौरान कार्य के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

रेल परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में (i) परियोजनाओं की प्राथमिकता (ii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओं पर निधियों के आबंटन में पर्याप्त वृद्धि (iii) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (iv) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी (v) शीघ्र भूमि अधिग्रहण,

वानिकी अवं वन्यजीव संबंधी मंजूरी हेतु राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मामलों का समाधान करने के नियमित अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2014 से कमीशनिंग की दर में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

*****